न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या :– 86/2012

दायर दिनांक – 25.10.2012

फैसल दिनांक – 4.12.17

1– श्री वेस्ता पिता श्री भीखा डामोर निवासी फोफलीबोर तहसील सागवाडा

( वादी)

बनाम

1– श्री इन्दुलाल पिता अमृतलाल राणा मीणा निवासी फोफलीबोर
2– श्री गटुलाल पिता अमृतलाल राणा मीणा निवासी फोफलीबोर
3– श्री अमृतलाल पिता नाना राणा मीणा निवासी फोफलीबोर
4– श्रीमती कमला पत्नि अमृतलाल राणा मीणा निवासी फोफलीबोर
5– श्रीमान राजस्थान सरकार भूमिधारी मार्फत तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – –

वकील प्रतिवादीगण– श्री मयंक दोसी

वाद अन्तर्गत धारा 188 ,209,राज0टि0एक्ट बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी डामोर मीणा जाती का व प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 राणा मीणा जाती के होकर एक ही गांव के निवासी है । वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की संवत 2064–67 खाता संख्या 106 नया 92 पुराना के सर्वे नम्बर 1044/752 कुल खेत नंग 1 रकबा 10 बीघा मोजा फोफलीबोर में स्थित है । वादी उक्त खसरा नम्बर पर काबिज है । उक्त खेत पर वादी का शांतिपूर्वक ढंग से कब्जा काश्त होकर वादी फसल इत्यादि प्राप्त करता आ रहा है । वादी ने उक्त खेत पर काफी रूपया खर्च कर जेसीबी मशीन के माध्यम से खेती योग्य व उपजाउ समतल बनाया है । यह कि वादी के विरूद्ध अन्य मामले में पुलिस कार्यवाही व फौजदारी प्रकरण हो जाने के कारण प्रतिवादी नंबर 1 से 4 मुकद्में मं रूपया बिगाडा है ऐसा कहकर वादी को डरा धमकाकर उक्त भूमि को जबरन हडपना चाहते हैं । उक्त खेत के कुछ भाग पर वादी के द्वारा निर्मित 10 गूणा 14 फीट भाग पर कच्चे ईटों से व लोहे के चद्दर से टिन शेड कमरे को जबरन गिरा देनी चाहते हैं ,उक्त खाते के पूरे भाग पर कब्जा करना चाहते हैं जिस कारण प्रतिवादीगण आये दिन वादी से लडाई झगडा करते आ रहे हैं । काश्त में रूकावट पैदा कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का उक्त खाते के खेत पर व खेत के किसी भाग पर कोई हक अधिकार आधिपत्य नहीं है तथा प्रतिवादीगण गैर कानूनी तरिके से वादी का खेत का हिस्सा खोस लेना चाहते हैं। जिस कारण प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है ।

वादी ने वाद के अन्त में प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने कि वादी के वाके मौजा फोफलीबोर के संवत 2064–2067 का खाता नम्बर 106 के सर्वे नम्बर 1044/752 कुल खेत नंग 1 कुल रकबा 10 बीघा की भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 न तो स्वयं या अपने किसी रिश्तेदार अपने किसी एजेण्ट मजदूर के साथ प्रवेश नही करे न ही वादी के शान्तिपूर्वक

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल व रूकावट पैदा नहीं करे व टिन शेड कमरे को वादी के उपयोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

वादी द्वारा वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए नकल जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए । वकील प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा मय प्रतिदावा के प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का वादग्रस्तं आरजी पर कब्जा मुखालफाना होने से एवं 25–30 वर्ष से अधिक समय से उनका कब्जा चला आने से उन्हें वादग्रस्त उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाने प्रस्तुत किया । प्रतिदावा के क्रम में वकील वादी द्वारा जवाबूल जवाब पेश किया जिसकी नकल वकील प्रतिवादी को दिलाई जाकर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :–

तनकी नं01:–

आया वादी मौजा फोफलीबोर के खाता संख्या 106 रकबा 10 बीघा का खातेदार होकर कब्जा काश्त है ? (वादी)

तनकी नं02 :–

आया मौजा फोफलीबोर के खाता संख्या 106 रकबा 10 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने से वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हक / अधिकारी है ? (वादी)

तनकी नं03:–

आया प्रतिवादीगण मोजा फोफलीबोर के खाता संख्या 106 रकबा 10 बीघा भूमि पर 25–30 वर्षो से कब्जा काश्त है ? (प्रतिवादी)

तनकी सं04:–

अनुतोष ?

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की जाकर वकील वादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए , अन्तिम अवसर एवं कोस्ट पर अवसर दिये जाने के उपरानत भी वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई एवं दिनांक 13.4.2016 को वादी एवं वकील वादी अनुपस्थित होने से वाद वादी अदम हाजरी वादी एंव अदम पैरवी वकील वादी खारीज किया गया । लेकिन प्रकरण में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा प्रस्तुत करने से प्रतिदावा कियाशिल होने से साक्ष्य प्रतिवादी प्रारम्भ की गई ।

वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य में गवाह इन्दुलाल डी.डब्लू.1,गवाह काना डी.डब्लू.2 के बयान कराये एवं दस्तावेज नकल जमाबन्दी EX-1,नकल गिरदावरी EX-2,नक्शा ट्रैस EX-3,एवं लिखावट EX-4 प्रदर्श कराये जाकर साक्ष्य वादी समाप्त की जाने से वकील प्रतिवदी की एक पक्षीय बस समायत की गई ।

विद्वान वकील वादी ने अपनी बहस में वाद के क्रम में प्रस्तुत जवाब दावा एवं प्रतिदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से हमारा ध्यान लिखावट EX-4की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि वादी वेस्ता पिता भीखा डामोर , शंकर पिता भीखा डामोर , शंकर पिता हवजी डामोर , अशोक पिता शंकर डामोर निवासी फोफलीबोर ने उनके दादा लक्सी पिता गेबा की मृत्यु आपसी लेन देन को लेकर झगडा होने से होने के कारण उनके उपर पुलिस कार्यवाही होने से जैल में गये इसके बाद बाबा की बार वालों ने लक्सी पिता गेबा के परिवार वालों को सहायता राशि की मांग की व जगा पिता गोतमा राणा के सिर पर चोट आने से उसके ईलाज के लिये रूपयों की आवश्यकता होने से उनके पिता भीखा पिता लालू जैल में

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

गये ओर वेस्ता वगैरा ने जमीन मोजा फोफलीबोर की बेचकर रूपया देने को कहा । तथा वेस्ता पिता भीखा एवं जीवा पिता कमलाशंकर व लक्ष्मण पिता कमलाशंकर का भी अलग खाता है वह जमीन भी पिताजी को बेचने का अधिकार दिया एंव जेल से छूटने के बाद रजिस्ट्री कराने तथा उक्त जमीन बेचकर लक्सी राणा के परिवार को सहायता राशि व जगा राणा के ईलाज कराने , उन्हें जैल से छुडाने का खर्चा करने का सम्पूर्ण अधिकार दिया जाने का उल्लेख है एंव इस लिखावट पर वेस्ता,शंकर,अशोक,शंकर/हवजी की अंगूष्ठ निशानी है । वकील वादी ने अपनी बहस में गवाह इन्दुलाल डी.डब्लू.1,गवाह काना डी.डब्लू.2 के द्वारा भी उक्त तथ्य की पुष्टि होना बताते हुए बहस के अन्त में बताया कि वादी की ओर से प्रकरण में न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी कोई लिखित एंव मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जाने से प्रतिवादी का प्रतिदावा डिकी किया जाकर वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाने निवेदन किया गया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील प्रतिवादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तनकीवाईज निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी नं01:–

आया वादी मौजा फोफलीबोर के खाता संख्या 106 रकबा 10 बीघा का खातेदार होकर कब्जा काश्त है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज हो जाने से इस तनकी के विवेचन की आवश्यकता नहीं है ।

तनकी नं02 :–

आया मौजा फोफलीबोर के खाता संख्या 106 रकबा 10 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने से वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हक / अधिकारी है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज हो जाने से इस तनकी के विवेचन की आवश्यकता नहीं है ।

तनकी नं03:–

आया प्रतिवादीगण मोजा फोफलीबोर के खाता संख्या 106 रकबा 10 बीघा भूमि पर 25–30वर्षो से कब्जा काश्त है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को है । प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत लिखावट EX-4 में वादग्रस्त आराजी बेचान कर देने का कहना एवं जेल से छूटने पर इस बेचान की रजिस्ट्री कर देना तथा प्रतिवादी स्वंय एवं गवाह कावा के बयान में वादग्रस्त आराजी पर उनका 25–30 वर्ष से कब्जा काश्त होना बताया है । प्रतिवादीण की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श–4 की लिखावट सादे कागज पर होकर रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है । अतः कब्जे के लिए प्रस्तुत मोखिक साक्ष्य एवं अन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है । यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी सं04:–

अनुतोष ?

वाद प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिदावा में उल्लेखित तथ्यों की साक्ष्य में प्रस्तुत लिखावट रजिस्टर्ड दस्तावेज नही होने से प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

अतः प्रतिदावा के आधार पर कायम तनकी नंबर 4 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित होने से प्रतिदावा खारीज किया जाता है ।

पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 4.12.17 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

( गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner